न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00108 दायरा दिनांक : 25.11.2020

उनवान

1. हंसराज पुत्र श्री नन्दलाल, आयु 50 वर्ष, जाति किराड़
2. रामस्वरूप पुत्र श्री नन्दलाल, आयु 43 वर्ष, जाति किराड़
3. बसन्ती बाई बेवा श्री नन्दलाल, आयु 68 वर्ष, जाति किराड़
4. प्रेमबाई पुत्री श्री नन्दलाल, आयु 52 वर्ष, जाति किराड़, निवासीगण ग्राम गोरधनपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज०)

.... अपीलांट

बनाम

1. रामचरण पुत्र श्री धन्नालाल, आयु 52 वर्ष, जाति किराड़
2. सत्यनारायण पुत्र श्री धन्नालाल, आयु 45 वर्ष, जाति किराड़ निवासीगण ग्राम गोरधनपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज०)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां (राज०)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 07.11.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 15/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके ग्राम एवं माल गोरधनपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज०) के खाता संख्या 68 के खसरा नं. 3 का रकबा 0.86 हेक्टेयर, खसरा नं. 4 का रकबा 0.68 हेक्टेयर, खसरा नं. 92 का रकबा 0.12 हेक्टेयर, गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नं. 108 का रकबा 0. 03 हेक्टेयर गैर मुमकिन चाह कुल किता 4 का रकबा 1.69 हेक्टेयर आराजी नन्दलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 2/3, गिरिराज, आशाराम, अमन पुत्र नवल, गुड्डी बाई पत्नि स्व० नवल हिस्सा 1/12 ना० बा० पुत्र

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

धन्नालाल, सन्तोष नाबालिग पुत्री धन्नालाल, मोत्याबाई पत्नि स्व० धन्नालाल हिस्सा 3/12 कौम किराड़ के दर्ज खाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री काश्तकारी कानून व प्रक्रिया विधि, राजस्व रिकॉर्ड एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात से असंगत अवैध एवं शून्य होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजियात वर्णित वादपत्र की चरण क्रम 01 के 2/3 हिस्सा आराजी का सह खातेदार मृतक नन्दलाल पुत्र श्री मूलचन्द है। सहखातेदार नन्दलाल का दिनांक 14.03.2017 को देहान्त हो गया। अपीलान्टगण मृतक नन्दलाल के विधिक वारिसान एवं कायम मुकामान है। विवादित आराजी की चरण क्रम 01 में वर्णित आराजियात के रिकॉर्डेड खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना ही रेस्पोडेन्टगण ने अपने हक अधिकारों की घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। सभी रिकॉर्डेड खातेदारान घोषणा के वाद में आवश्यक पक्षकार थे, जिन्हें वाद में पक्षकार बनाये बिना ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष के कारण विधितः संधारणीय न होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के असंयोजन के दोष से ग्रसित वाद का विचारण कर वाद निर्णित करने में विधि की भारी भूल की है. अस्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी में अपीलान्ट के पिता मृतक नन्दलाल का 2/3 हिस्सा था। मृतक नन्दलाल के विधिक वारिसान अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये बिना उनके 2/3 हिस्से को कम कर 1/2 हिस्सा की डिक्री पारित करने में विधि एवं प्रक्रिया की भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अवैध शून्य होने से अपीलान्ट के विरूद्ध अमान्य है। अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करवाकर रिकॉर्ड की वाद पूर्व स्थिति की बहाली हेतु अवैध, शून्य पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना विधि विरूद्ध होने से उक्त निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 निरस्त फरमाया जावें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 02.07.2020 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि वादी अपीलांट के पिता नन्दलाल का वादग्रस्त आराजी में 2/3 हिस्सा था। वादग्रस्त आराजी में गिरराज पुत्र मोत्या का 1/3 हिस्सा है। वाद में नन्दलाल के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया और निर्णय में नन्दलाल के वारिसान का 1/2 हिस्सा कर दिया। घोषणा के दावे में आवश्यक पक्षकार होने से धारा 96 पर अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय में हमें सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि धन्नालाल की मृत्यु के बाद दावा करेक्शन ऑफ एन्ट्री का था। अधीनस्थ न्यायालय में सरकार का जवाब आया जिसमें स्वीकार किया कि रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ । वादीगण को वादग्रस्त आराजी में 1/10, 1/10 हिस्सा है जो अधीनस्थ न्यायालय ने सही दिया है। अतः अपील खारिज की जावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रार्थना पत्र एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकार नन्दलाल के वारिसान होने के कारण तथा हितबद्ध पक्षकार होने के कारण धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा पेश कर कथन किया है कि वाके ग्राम एवं माल गोरधन पुरा तहसील अटरू जिला बारां के खाता संख्या 68 के खसरा नं. 3 रकबा 0.86 हेक्टर, खसरा नं. 4 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नं. 92 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नं. 108 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 4 का रकबा 1.69 हैक्टर आराजी नन्दलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 2/3 गिरिराज, आशाराम, अमन पुत्र नवल, गुड्डी बाई पत्नी स्व. नवल हिस्सा 1/2, ना.बा. पुत्र धन्नालाल, संतोष ना.बा. पुत्री धन्नालाल, मोत्याबाई पत्नी स्व. धन्नालाल हिस्सा 3/12 कोम किराड के दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के पिता खातेदार धन्नालाल की मृत्यु का नामान्तरण संख्या 22 दिनांक 27.02.1996 को तहसीलदार अटरू द्वारा सही तस्दीक किया गया है परंतु उक्त नामान्तकरण का सही तरीके से अमल जमाबंदी में अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया तथा सवहन से वादीगण का नाम ग्राम गोरधनपुरा की खाता संख्या 68 का कुल किता 4 का रकबा 1.69 हैक्टर में दर्ज नहीं हुआ जिसे वादीगण दर्ज करवाने के अधिकारी एवं नलिशी है। अतः वाद पत्र में वर्णित आराजी पर नामान्तकरण संख्या 22 का अमल करते हुए खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वादीगण का नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी तहसीलदार अटरू की ओर से पत्रांक 37 दिनांक 22.06.2018 से जवाब दावा पेश कर कथन किया कि बिन्दु संख्या 1 वादी का यह कथन स्वीकार है कि ग्राम गोरधनपुरा किता 4 रकबा 1.69 हैक्टर एवं ग्राम कवाई खसरा नं. 832 रकबा 1.38 हेक्टर वादीगणों के कब्जे काश्त एवं रिकार्ड अनुसार खातेदारी में दर्ज है। मृतक मूलचन्द के धन्नालाल, नन्दलाल एवं बेवा पारोबाई वारिस है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/3– 1/3– 1/3 बनता है। पारो बाई फौत होने पर धन्नालाल हिस्सा 1/2 एवं नन्दलाल हिस्सा 1/2 रहने के कारण प्रकरण में हिस्सा दुरुस्ती योग्य है।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 से निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए विवादित आराजी ग्राम गोरधन पुरा के खाता संख्या 68 कुल किता 4 रकबा 1.69 हैक्टर में वादीगण रामचरण, सत्यनारायण पुत्र धन्नालाल को 1/10–1/10 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कर तहसीलदार अटरू को नामा.संख्या 22 दिनांक 27.02.1996 का राजस्व रिकार्ड में सही अंकन करने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी ग्राम गोरधनपुरा, तहसील अटरू खाता सं. 68 संवत 2068 से 2071 खाता सं. 66 संवत 2064–2067 के अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम गोरधनपुरा किता 4 कुल रकबा 1.6900

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हेक्टर में अपीलांट के पिता नन्दलाल पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 2/3 दर्ज रिकार्ड है। वादी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज प्रकरण सं. 15/2018 बउनवान रामचरण बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वादी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा अपीलांट के पिता सहखातेदार नन्दलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने सहखातेदार नन्दलाल को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही वादीगण का वाद स्वीकार कर जमाबंदी में दर्ज नन्दलाल के 2/3 हिस्से को कम कर 1/2 कर दिया है। अपीलांट नन्दलाल के वारिसान होने से उनके हित प्रभावित हुए हैं। किसी सहखातेदार को दावे में पक्षकार बनाये बिंना एवं साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जमाबंदी में दर्ज उसके हिस्से को कम करने के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एवं सी.पी.सी. के विधि प्रावधानों के विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एव सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.01.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/11/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा